रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

अभिप्रमाणित
हंसराज गंगाराम अहिर
गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

सं. 108]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 17, 2018/वैशाख 27, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 522
No. 108]	DELHI, THURSDAY, MAY 17, 2018/VAISAKHA 27, 1940	[N.C.T.D. No. 522

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस–I स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 मई, 2018

सं. 16/5/2014/एचपी–I/स्थापना 2755 से 2756.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उपधारा (1) तथा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थायीकरण) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

   (1) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थायीकरण) (संशोधन) नियमावली–2018 कहा जाएगा।

   (2) ये नियम दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. नियम का संशोधन

   दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थायीकरण) नियमावली 1980 में नियम 12 के उपनियम (2) में "30 वर्ष" अंकों व शब्दों के स्थान पर "35 वर्ष" अंकों व भाब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

योगेश कुमार, अनुभाग अधिकारी (गृह विभाग)